

उत्तर प्रदेश शासन
खाद्य तथा रसद अनुभाग-1
संख्या-06 /2017/रा-362/29-1-17-129 ए/79
लखनऊ:दिनांक: 19 अप्रैल 2017
कार्यालय-आदेश

एतदविषयक पूर्व निर्गत समस्त आदेशों को अवक्रमित करते हुए मा0 मंत्री जी खाद्य एवं रसद ने भारत के संविधान के अनुच्छेद-166 के अंतर्गत बनायी गयी 30प्र0 कार्य नियमावली 1975 के नियम-3 में प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए आदेश दिये हैं कि उनके सामान्य एवं विशिष्ट निर्देशों तथा उक्त नियमावली के विभिन्न उपबन्धों के अधीन रहते हुए उनके एवं मा0 राज्यमंत्री जी (श्री अतुल गर्ग) खाद्य एवं रसद/उपभोक्ता एवं बॉट माप विभाग के मध्य तात्कालिक प्रभाव से कार्य विभाजन निम्नवत् होगा :-

मा0 खाद्य मंत्री जी (मा0 मुख्यमंत्री जी) द्वारा निस्तारित किये जाने वाले कार्य

- 1- खाद्य आपूर्ति शाखा के अंतर्गत क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी एवं उससे उच्च स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा अधिष्ठान संबंधी समस्त कार्य।
- 2- विपणन शाखा के अंतर्गत क्षेत्रीय विपणन अधिकारी एवं उससे उच्च स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा अधिष्ठान संबंधी समस्त कार्य।
- 3- उपभोक्ता संरक्षण एवं बॉट माप शाखा के अंतर्गत आने वाले सेवा अधिष्ठान संबंधी समस्त कार्य।
- 4- उत्तर प्रदेश उपभोक्ता फोरम निदेशालय से संबंधित कार्य।
- 5- पेट्रोलियम पदार्थ एवं मिट्टी के तेल की आपूर्ति/आवंटन संबंधी कार्य।
- 6- विधान सभा/विधान परिषद के तारांकित प्रश्न/नियम/चर्चाएं/ वक्तव्य तथा अल्पसूचित प्रश्न आदि।
- 7- समितियों / परिषदों से संबंधित कार्य।
- 8- 30प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम से संबंधित समस्त कार्य।
- 9- 30प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम से संबंधित कार्य।
- 10- मा0 मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले मामले एवं अन्य नीतिगत कार्य।
- 11- अन्य समस्त कार्य जो मा0 राज्य मंत्री जी को विशेष रूप से आवंटित नहीं हैं।

मा0 राज्य मंत्री जी (श्री अतुल गर्ग) द्वारा निस्तारित किये जाने वाले कार्य

- 1- खाद्य एवं आपूर्ति शाखा के अंतर्गत पूर्ति निरीक्षकों एवं उससे नीचे स्तर के कर्मचारियों के अधिष्ठान संबंधी कार्य।
- 2- विपणन शाखा के अंतर्गत विपणन निरीक्षक एवं उससे नीचे के अधिष्ठान संबंधी समस्त कार्य।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

- 3- खाद्य विभाग के प्रस्तावित भण्डारागार के निर्माण से संबंधित कार्य।
- 4- मा0 खाद्य एवं रसद मंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित पेट्रोलियम पदार्थ तथा मिट्टी के तेल की आपूर्ति की समीक्षा बैठक मा0 मंत्री जी के साथ।
- 5- धान / गेहूँ क्रय केन्द्रों की समीक्षा संबंधी कार्य।
- 6- विधान सभा / विधान परिषद में विभाग के अतारांकित प्रश्नों के अनुमोदन संबंधी कार्य।
- 7- मा0 खाद्य मंत्री जी की अनुपस्थिति में समस्त विधान सभा/ विधान परिषद के प्रश्नों के उत्तर आदि।
- 8- मा0 खाद्य मंत्री जी/ मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा विभिन्न समितियों/ परिषदों के गठन से संबंधित पत्रावलियां मा0 राज्य मंत्री जी के माध्यम से निर्णय हेतु मा0 मंत्री जी को प्रस्तुत की जायेगी।
- 9- अन्य वह कार्य जो मा0 खाद्य मंत्री जी द्वारा दिये जायेंगे।
- 10- प्रदेश में जनपद स्तरीय वितरण एवं आपूर्ति संबंधी कार्यों की समीक्षा करेंगे एवं अपनी समीक्षा आख्या मा0 खाद्य मंत्री जी के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करेंगे।

कुमार अरविन्द सिंह देव
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. श्री राज्यपाल के सचिव।
2. मा0 मुख्यमंत्री जी के निजी सचिव।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
4. निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, खाद्य तथा रसद/उपभोक्ता संरक्षण एवं बॉट माप विभाग।
5. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
6. गोपन अनुभाग-1 ।
7. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/सचिव/विशेष सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. खाद्य तथा रसद/उपभोक्ता संरक्षण एवं बॉट माप शाखा के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
9. सचिवालय प्रशासन अनुभाग-3 (अधि0)।
10. कार्यालय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(हरिश्चन्द्र)

उप सचिव।